**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.12.2024**

**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 29.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान लूट व छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों से हुई मुठभेड़ में अभियुक्त आमिर खान पुत्र अशफाक निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त कल्लू उर्फ तालीम पुत्र मौहम्मद यामीन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद मौके से भाग गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगाई गई।

आज दिनांक 31.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त कल्लू उर्फ तालीम पुत्र मौहम्मद यामीन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद को खड-खडी रोड घिटौरा मोड थाना ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरा दोस्त आमिर मोटर साईकिल से घूम फिरकर मौका पाकर राह चलते लोगों से मोबाइल फोन लूट/छिनैती कर लेते हैं। दिनांक 16.10.2024 को शाम के वक्त जीवन गेट के पास एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था व उसका फोन राह चलते लोग को बेच दिया था। बेचे गये मोबाइल से प्राप्त रूपये खर्च हो जाने पर दिनांक 25.12.2024 को मैंने व मेरे दोस्त आमिर ने एक लडकी का मोबाइल पुस्ता रोड से छीना था। हम दोनों मोबाइल छीन कर मोटरसाइकिल से भाग गये थे। उक्त मोबाइलों को हम दोनो दिनांक 29.12.2024 को बेचने के लिये जा रहे थे कि हमारी पुलिस से मुठभेड़ हो गयी जिसमें मेरे दोस्त आमिर ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया था पुलिस की जबावी कार्यवाही में आमिर को गोली लग गयी थी मैं किसी तरह से बचते हुये मौके से भाग गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

कल्लू उर्फ तालीम पुत्र मौहम्मद यामीन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद,उम्र 24 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी व ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर चोरी, लूट व चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**थाना भोजपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।**

दिनांक 30.12.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. मंयक पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2. अनुज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम खंजरपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को मेरठ एक्सप्रेस वे अण्डरपास भोजपुर से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से थाना परतापुर जिला मेरठ से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भोजपुर पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण --**

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने परतापुर जिला मेरठ के फ्लाई ओवर के नीचे से चोरी की थी जिसे आज हम बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1. मंयक पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अनुज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम खंजरपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तों के विरूद्ध वाहन चोरी के संबंध में थाना परतापुर जनपद मेरठ में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

## थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके चाचा की लड़की उम्र करीब 14 वर्ष दिनांक 05.12.2024 को घर से बिना बताये कही चली गयी है और अभी तक घर वापस नही आयी है तथा सभी सम्भावित जगह पर उसको तलाश कर लिया गया है लेकिन नही मिली है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीड़िता को सकुशल बरामद कर धारा 180 बीएनएसएस व मेडीकल परीक्षण की कार्यवाही की गयी जिसके आधार पर अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम परवीन चक थाना फतुहा जिला पटना बिहार का नाम प्रकाश में तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 64/87 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 31.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम परवीन चक थाना फतुहा जिला पटना बिहार, उम्र करीब 19 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीड़िता मेरे गांव के पास की रहने वाली है तथा पिछले करीब 02 साल से हमारी आपस में बातचीत होती रहती थी। करीब 02 माह पूर्व पीडिता अपने चचेरे भाई के यहां बहरामपुर

गाजियाबाद में आ गयी थी इसलिए मैं दिनांक 05.12.2024 को उससे मिलने अपने गांव से गाजियाबाद आया तथा उसको बहला फुसलाकर अपने साथ वापस पटना लेकर चला गया था जहां मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे। पीड़िता को पुलिस द्वारा पहले ही बरामद कर लिया गया था जिससे मैं आज मिलने के लिए आया था कि पुलिस मे मुझे पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अजीत कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम परवीन चक थाना फतुहा जिला पटना बिहार, उम्र करीब 19 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

**थाना लोनी पुलिस द्वारा जुआ खेलने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10800/- रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद।**

दिनांक 30.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र अशोक विहार, बाबू मैरिज होम के पीछे मैदान के पास से जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों 1.इसरार पुत्र नूरदीन नीलगर निवासी 30 फुटा रोड़ अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष 2. आसिफ पुत्र लियाकत निवासी गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष 3. जुबैर पुत्र लियाकत निवासी गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 4. सोनू पुत्र इस्लाम कुरैशी निवासी गली नं0-1 जमालपुरा राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 10800/- रूपये (फड से 3200 रुपये तथा जामातलाशी से 7600 रुपये) व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम अपना शौक पूरा करने के लिये जुआ खेलते हैं। हम बाबू मेरिज होम के पास जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -**

1.इसरार पुत्र नूरदीन नीलगर निवासी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. आसिफ पुत्र लियाकत निवासी गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।
3. जुबैर पुत्र लियाकत निवासी गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. सोनू पुत्र इस्लाम कुरैशी निवासी जमालपुरा राशिद अली गेट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण:-**

कब्जे से कुल 10800/- रुपये (फड से 3200 रुपये तथा जामातलाशी से 7600 रुपये) व 52 ताश के पत्ते बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।

**थाना लोनी पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व 570/- रूपये बरामद ।**

दिनांक 29.12.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व निरीक्षण घटना स्थल के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 309(4) बीएनएस का लोप कर धारा 304 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई ।

दिनांक 30.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान मोबाइल छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आदिल पुत्र मुबारिक निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व 570/- रूपये बरामद हुए । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण -**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोबाइल जो मुझसे बरामद हुआ है, मैनें दिनांक 29.12.2024 को लोनी तिराहा से एक व्यक्ति से छीना था तथा कुछ दिन पहले मैनें सलाम होटल के सामने से एक महिला से भी एक मोबाइल छीना था जिसको मैंने चलते फिरते रास्ते में किसी व्यक्ति को सस्ते दामों में बेच दिया था । मुझसे जो 570/- रूपये बरामद हुये हैं ये उसी मोबाइल के बचे हुए पैसे हैं ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

आदिल पुत्र मुबारिक निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर मोबाइल छिनैती के संबंध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व 570/- रूपये बरामद ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम ।

**थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार ।**

दिनांक 31.03.2024 को वादी द्वारा लोनी बोर्डर पर एक तहरीर अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र रचकर धोखाधडी, जालसाजी करके प्रार्थी की संपत्ति के नकली कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस पर 40 लाख रुपये लोन लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल की थी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 19.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस

टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों 1. विमल पुत्र राजकरन निवासी ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली उम्र 42 वर्ष 2.राजकरन पुत्र हरसहाय निवासी ग्राम गोहाना औरैया इटावा, हाल पता गली नम्बर 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली उम्र करीब 65 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 31.12.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्ता 1.कृष्णा देवी पत्नी राजकरन नि0 हाल गली न0 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली , हाल पता बालाजी श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद, उम्र करीब 62 वर्ष 2. शैलेश कुमारी पत्नी विमल नि0 हाल गली न0 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली , हाल पता बालाजी श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद. उम्र करीब 35 वर्ष को बालाजी आरकेड , श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्ताओं ने पूछने पर बताया कि हमने यह प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था उसके उपरांत उपरोक्त प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो भिन्न भिन्न बैंकों से 40 लाख रुपये लोन अवैध रूप से अर्जित कर लिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम/पता**

1.कृष्णा देवी पत्नी राजकरन नि0 हाल गली न0 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली , हाल पता बालाजी श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद, उम्र करीब 62 वर्ष।

2. शैलेश कुमारी पत्नी विमल नि0 हाल गली न0 5 निकट मदीना मस्जिद बुद्ध विहार मण्डोली दिल्ली , हाल पता बालाजी श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद. उम्र करीब 35 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -**

अभियुक्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

**थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**कार्यवाही का विवरण-**

दिनांक 31.12.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 01 अभियुक्त को आरडीसी चौकी क्षेत्र में मेला प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त व्यक्ति अपने आपको मिनिस्टर इमोवेन बताता है तथा अपनी गाड़ी पर भी ULCT की नम्बर प्लेट लगाये घूम रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर धारा 121(1)/221/345(3) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशांत झा ने पूछताछ में बताया कि मेरा नाम प्रशांत झा उर्फ MINISTER EMOVEN पुत्र अवधेश झा निवासी ए-309 गोविन्दपुरम थाना कविनगर जनपद गाज़ियाबाद है। हम पर यूनिवर्सल कानून लागू होता है। इन्होंने बताया कि ये Universal Low Community Trust नामक संस्था से जुड़े हैं, ये अपने आपको MINISTER EMOVEN कहते हैं। इसने बताया कि देश के कानून ये अपने ऊपर लागू नहीं मानते हैं, ये यूनिवर्सल कानूनों से संचालित होते हैं। इनके द्वारा पूछताछ में एक प्रपत्र भी दिया गया जिसमें उक्त गाड़ी जिसका मूल नं0 DL4CMC3402 है, को इनके ट्रस्ट/ संस्था द्वारा अटैच कर नया नम्बर ULCT1529 जारी किया गया है। अन्य बिन्दुओं पर गहनता से पूछताछ की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

प्रशांत झा उर्फ MINISTER EMOVEN पुत्र अवधेश झा निवासी ए-309 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाले टीम:-**

थाना कविनगर पुलिस टीम।